बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07–123/2023–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ओबरा, औरंगाबाद द्वारा ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–76(15), दिनांक–15.01.2024 एवं पत्रांक–691(15) दिनांक–12.04.2024 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक–29.01.2024 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

2. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अस्वीकार पाये जाने की स्थिति में ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों (**कुल–90**) को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने संबंधी आरोपों के संदर्भ में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक–2283(15) दिनांक–13.11.24, पत्रांक–273(15) दिनांक–27.02.2025, पत्रांक–938(15) दिनांक–09.06.2025 एवं पत्रांक–1726(15) दिनांक–15.09.2026 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह, दिनांक–25.11.2025 से अपना स्ष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि एक बार वाद के अस्वीकृत हो जाने के उपरांत पुनः उसी दस्तावेज पर वाद के स्वीकृत्त किए जाने के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के प्रतिवेदन/अनुशंसा को आधार बनाते हुए अपने बचाव में तर्क गढ़ने का प्रयास किया गया है जबकि आरोपी पदाधिकारी को सारे अभिलेखीय/स्थलीय साक्ष्यों/तथ्यों की छान–बीन एवं जाँच पड़ताल करते हुए प्रश्नगत दाखिल–खारिज वाद की स्वीकृति/अस्वीकृति दी जानी चाहिए थी, न कि मात्र राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर। साथ ही एक बार वाद के अस्वीकृत हो जाने के उपरांत पुनः उसी दस्तावेज पर आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील हेतु निदेशित किया जाना चाहिए था, न कि दाखिल–खारिज वाद को स्वीकृत किया जाना चाहिए था। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों पर दोषारोपण करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य से विमुख होने का प्रयास किया गया है, साथ ही दाखिल–खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपने अधीनस्थ कर्मियों पर दोषारोपण का अभिप्राय यह है कि उनका अपने अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है जो उनके कमजोर नेतृत्व क्षमता/कार्यालय प्रबंधन का द्योतक है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा यदि अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के कार्यों का समुचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस स्तर पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा चूक की गई है। उपरोक्त के आलोक में श्री सिंह का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. **श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ओबरा, औरंगाबाद** का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह को "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का शस्ति" अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ओबरा, औरंगाबाद सम्प्रति अंचल अधिकारी, बाराचट्टी, गया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के तहत "**संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का शस्ति**" अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:–15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07–123/2023–497 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 08/04/2026

ई–मेल/
स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, गया एवं औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया एवं औरंगाबाद/श्री अरूण कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, बाराचट्टी, गया को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।